

क्या आप विदेश यात्रा कर रहे हैं?

यदि आप कोई लाभ प्राप्त करते हैं तथा एक सीमित समय के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या जानना जरूरी है।

विदेश यात्रा करने से पहले, चाहे आपको कोई भी लाभ मिलता हो, आपको न्यूजीलैंड छोड़ने से पहले वर्क एंड इन्कम को अपनी यात्रा योजनाओं तथा यात्रा के कारणों के बारे में अवश्य अवगत कराना होगा। यात्रा करने वाले साथियों को भी हमें बताना होगा।

यदि आपने जाने से पहले हमें नहीं बताया है और कारणों को मंजूर कराते हुए हमसे सहमति नहीं ली है जिससे कि आपके भुगतान जारी रखे जा सकें, तो आप द्वारा न्यूजीलैंड छोड़ने के अगले दिन से वर्क एंड इन्कम, निम्न लाभों के लिए आपके भुगतान रोक देगा:

- नौकरी खोजने वालों को सहायता (जॉबसीकर सपोर्ट) (जॉबसीकर सपोर्ट-स्टूडेंट हार्डशिप सम्मिलित)
- कार्य दायित्वों, या विशिष्ट कार्य तैयारी क्रियाकलाप सहित एकल अभिभावक सहायता (सोल पैरेंटिंग सपोर्ट)
- विशिष्ट कार्य तैयारी क्रियाकलाप के साथ सहायताप्राप्त आजीविका भुगतान (सपोर्टेड लिविंग पेमेन्ट)
- आपातकालीन लाभ (इमर्जेन्सी बेनीफिट) तथा आपातकालीन रखरखाव भत्ता (मेन्टेनेन्स अलाउंस)
- युवा भुगतान (यूथ पेमेन्ट)
- कमउम्र अभिभावक भुगतान (यंग पैरेंट पेमेन्ट)
- युवा क्रियाकलाप दायित्वों, कार्य दायित्वों, या क्रियाकलापों सहित कार्य दायित्वों वाले जीवनसाथी (पार्टनर्स)

आप अपनी विदेश यात्रा के बारे में अब हमें 0800 559 009 पर कॉल करके या षडल 'My Account – Going overseas' का उपयोग करके ऑनलाइन, तथा वर्क एंड इन्कम कार्यालय को अवगत करा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप व आपके पार्टनर दोनों हमें अवगत करायें यदि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं। क्या विदेश यात्रा स्वीकार्य है?

कुछ लाभार्थी, सीमित समय के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं जब तक उनका भुगतान प्रभावित नहीं होगा। (फिर भी न्यूजीलैंड छोड़ने से पहले आप वर्क एंड इन्कम से अवश्य परामर्श लें अन्यथा आपके भुगतान रोक दिए जाएंगे।) इसमें निम्न शामिल हैं:

- सोल पैरेंट सपोर्ट प्राप्त करने वाले लोग, जिनके कार्य दायित्व या अवशेष कार्य तैयारी आवश्यकताएं नहीं हैं-12 महीने की अवधि में 28 दिनों तक
- सपोर्टेड लिविंग पेमेन्ट प्राप्त करने वाले लोग, जिनकी अवशेष कार्य तैयारी आवश्यकताएं नहीं हैं-12 महीने की अवधि में 28 दिनों तक
- ऐसे लाभार्थी जो स्पेशल ओलम्पिक्स व पैराओलम्पिक्स में भाग लेते हों (छह सप्ताह तक), या विशिष्ट व्यावसायिक तथा विकलांगता सहायता कुल्ला प्रशिक्षण हेतु (दो वर्ष तक)
- यूथ पेमेन्ट तथा यंग पैरेंट पेमेन्ट प्राप्त करने वाले युवा लोग जिन्हें यात्रा के समय शिक्षा, प्रशिक्षण या कार्य-आधारित शिक्षण नहीं प्राप्त करना हो, उदाहरण के लिए, सेमेस्टर ब्रेक के दौरान।

सभी लाभार्थी विदेश यात्रा कर सकते हैं और कुछ निश्चित चिकित्सा उपचारों के लिए लाभ प्राप्त करते रह सकते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ) द्वारा समर्थित हो। यदि आप स्थायी रूप से विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो कृपया हमारी विवरणिका (ब्रोशर) *Are you moving overseas?* पढ़ें। न्यूजीलैंड सुपरएन्युएशन (अधिवर्षिता) व वेटेरन्स पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को भी न्यूजीलैंड छोड़ने से पहले यह जानने के लिए हमसे बात करनी चाहिए कि यह उनके जारी भुगतानों को किस तरह प्रभावित करेगा।

अगर आप किसी अन्य देश में रह रहे हैं तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा समझौते (इंटरनेशनल सोशल सिव्योरिटी एग्रीमेंट) के तहत भुगतान प्राप्त कर रहे हैं या गैर-लाभार्थी सहायता प्राप्त कर रहे हैं तो ये बदलाव आपको प्रभावित नहीं करेंगे।



Work and Income
Te Hiranga Tangata

A service of the Ministry of Social Development

अधिक जानकारी के लिए



कॉल करें 0800 559 009



विजिट करें & www.workandincome.govt.nz